रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
17 NOV 1972
GOVT. OF INDIA

सं० 74] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 4, 1972/माघ 15, 1893
No. 74] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 4, 1972/MAGHA 15, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 4th February, 1972

S.O. 99(E).—Whereas a vacancy has occurred in the House of the People by reason of the resignation of Shri Manmohan Tudu, a member elected to that House from 1-Mayurbhanj (ST) Parliamentary Constituency in the State of Orissa.

Now, therefore, in pursuance of the provisions of Section 149 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby calls upon the said Constituency to elect before the 21st March, 1972, in accordance with the provisions of the said Act and of the Rules and Orders made thereunder, a person belonging to the Scheduled Tribes of Orissa to fill the said vacancy.

[No. 100/OR-HP/1/71(1).]

A. N. SEN, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1972

एस० ओ० 99(अ).—उड़ीसा राज्य में के 1 मयूरभंज (अ० ज०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचित सदस्य श्री मनमोहन टुडू के त्याग पत्र दे दिए जाने के कारण उस सभा में एक स्थान रिक्त हो गया है ;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग उक्त निर्वाचन क्षेत्र से एतद्द्वारा अपेक्षा करता है कि वह ऐसे हुई रिक्ति को भरने के लिए 21 मार्च, 1972 से पूर्व उक्त अधिनियम के और तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार एक ऐसा व्यक्ति निर्वाचित कर दे जो उड़ीसा राज्य की अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो।

[सं० 100/उड़ीसा-लो० स०/1/71(1)]

S.O. 100(E).—In pursuance of the provisions of section 30 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby appoints, with respect to the bye-election to be held in 1-Mayurbhanj (ST) Parliamentary Constituency in the State of Orissa in pursuance of its notification No. 100/OR-HP/1/71 (1), dated the **4th** February 1972:

(a) the 11th February, 1972 (Friday), as the last date for making nominations;

(b) the 12th February, 1972 (Saturday), as the date for the scrutiny of nominations;

(c) the 14th February, 1972 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 9th March, 1972 (Thursday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken and

(e) the 21st March, 1972 (Tuesday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/OR-HP/1/71(2).]

एस० ओ० 100(अ)—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 30 के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/उड़ीसा-लो० स०/1/71(1), तारीख 4 फरवरी, 1972 के अनुसरण में उड़ीसा राज्य में के 1-मयूरभंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से होने वाले उप निर्वाचन के बारे में :—

(क) नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख 11 फरवरी, 1972 (शुक्रवार)

(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख 12 फरवरी, 1972 (शनिवार)

(ग) अभ्यर्थिता वापस लेने की अन्तिम तारीख 14 फरवरी, 1972 (सोमवार)

(घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हो तो मतदान होगा ; 9 मार्च, 1972 (बृहस्पतिवार)
तथा

(ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जायेगा। 21 मार्च, 1972 (मंगलवार)

एतद्द्वारा नियत करता है।

[सं० 100/उड़ीसा-लो० स०/1/71(2)]

S.O. 101(E).—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby fixes the hours from 7-30 A.M. to 5-30 P.M. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the election to the House of the People from 1-Mayurbhanj (ST) Parliamentary Constituency to be held in pursuance of its notification No. 100/OR-HP/1/71 (1) dated the 4th February, 1972.

[No. 100/OR-HP/1/71(3).]

एस० ओ० 101(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951(1951 का 43)की धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं 100/उड़ीसा-लो० स०/1/71 (1), तारीख 4 फरवरी 1972 के अनुसरण में । मयूरभंज (अ ज जा) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए 7–30 बजे पूर्वान्ह स 5–30 बजे अप न्हि तक का समय उस समय के रूप में एतद्द्वारा नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हो तो, मतदान होगा ।

[सं० 100/उड़ीसा–लो० स०/1/71 (3)]

S.O. 102(E).—Whereas a vacancy has occurred in the House of the People by reason of the resignation of Shri Bhagirathi Gomango, a member elected to that House from 11-Koraput (ST) Parliamentary Constituency in the State of Orissa;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 149 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby calls upon the said constituency to elect before the 21st March, 1972, in accordance with the provisions of the said Act and of the Rules and Orders made thereunder, a person belonging to the Scheduled Tribes of Orissa to fill the said vacancy.

[No. 100/OR-HP/2/71(1).]

एस० ओ० 102(अ).—यत: उड़ीसा राज्य में के 11 कोरापुट (अ ज जा) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचित सदस्य श्री भागीरथी गोमंगो के त्याग पत्र दे दिए जाने के कारण उस सभा में एक स्थान रिक्त हो गया है ;

अत:, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 149 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग उक्त निर्वाचन क्षेत्र से एतद्द्वारा अपेक्षा करता है कि वह ऐसे हुई रिक्ति को भरने के लिए 21 मार्च 1972 से पूर्व उक्त अधिनियम के और तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार एक ऐसा व्यक्ति निर्वाचित कर दें जो उड़ीसा राज्य की अनुसूचित जनजाती का सदस्य हो ।

[सं० 100/उड़ीसा-लो०स०/2/71 (1)]

S.O. 103(E).—In pursuance of the provisions of section 30 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby appoints, with respect to the bye-election to be held in 11 Koraput (ST) Parliamentary Constituency in the State

of Orissa in pursuance of its notification No. 100/OR-HP/2/71(1), dated the 4th February, 1972

(a) the 11th February, 1972 (Friday), as the last date for the scrutiny of nominations;

(b) the 12th February, 1972 (Saturday), as the date for the scrutiny of nominations;

(c) the 14th February, 1972 (Monday), as the date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 9th March, 1972 (Thursday), as the date on which a poll shall, if necessary be taken and

(e) the 21st March, 1972 (Tuesday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/OR-HP/2/71(2).]

एस० ओ० 103(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 30 क उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/उड़ीसा-लो०स०/2/71 (1), तारीख 4 फरवरी, 1972 के अनुसरण में उड़ीसा राज्य में के 11—कोरापुट (अ ज जा) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से होने वाले उप निर्वाचन के बारे में—

(क) नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख	11 फरवरी 1972 (शुक्रवार)
(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	12 फरवरी 1972 (शनिवार)
(ग) अभ्यर्थिता वापस लेने की अन्तिम तारीख	24 फरवरी 1972 (सोमवार)
(घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हो तो मतदान होगा	9 मार्च 1972 (बृहस्पतिवार)
(ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा	21 मार्च 1972 (मंगलवार)

एतद्द्वारा नियत करता है ।

[सं० 100/उड़ीसा० लो० स०/2/71(2)]

S.O. 104(E).—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) the Election Commission hereby fixes the hours from 1-30 A.M. to 5-30 P.M. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the election to the House of the People from 11-Koraput (ST) Parliamentary Constituency, to be held in pursuance of its notification No. 100/OR1HP/2/71(1), dated the 4th February, 1972.

[No. 100/OR-HP/2/71(3).]

By Order,

A. N. SEN, Secy.